रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 1993/भाद्र 15, 1915
No. 35] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 1993/BHADRA 15, 1915

आन्ध्रा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

हैदराबाद, 21 जुलाई, 1993

सं. 666/20/विधि/141—आन्ध्रा बैंक, निदेशक मंडल बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन विनियम 1982) में आगे संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(i) ये विनियम आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी—(आचरण) (संशोधन) विनियम 1993 कहे जा सकते हैं।

(ii) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1982 में,—

(क) विनियम 5 के उप विनियम (2) के उपबंध में "मामले की रिपोर्ट" शब्द के पश्चात् "नियोजन प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से 3 महीने के अंदर" शब्द जोड़े जाने हैं।

(ख) विनियम 14 के उप विनियम (1) का स्पष्टीकरण नोट (2) छोड़ा जाना है।

(ग) विनियम 20 के उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नांकित रखा जाए।

"(2) प्रति वर्ष 30 जून के पूर्व उस वर्ष के 31 मार्च तक की अपनी चल, अचल और नकदी आस्तियां यथा शेयर, डिबेंचर सहित मूल्यवान संपत्ति के विवरण प्रति वर्ष प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को प्रस्तुत करना होगा।

नक्का राजा राव, महा प्रबंधक (कार्मिक)

फुटनोट : इसके पूर्व 666/20/विधि/199 दि. 12–10–1990 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया जिसे भारत सरकार के गजट में शुक्रवार, अक्तूबर, 26, 1990/कार्तिक 4, 1912 को प्रकाशित किया गया।

ANDHRA BANK

(A Government of India Undertaking)

(Personnel Department)

NOTIFICATION

Hyderabad, the 21st July, 1993

No. 666|20|LEGAL|141.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Andhra Bank Officer Employees' (CONDUCT) Regulations, 1982.

2. Short title and Commencement :

(i) These Regulations may be called the Andhra Bank Officer Employees' (Conduct) (Amendment) Regulations, 1993.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Andhra Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1982;

(a) In the proviso to sub-regulation (2) of regulation 5, after the words "shall be reported to the competent authority" the words within three months from the date of the receipt of offer of employment" shall be inserted;

(b) In regulation 14, in sub-regulation (1) in the Explanation Note (2) shall be omitted;

(c) for the sub-regulation (2) of regulation 20, the following shall be substituted, namely :—

"(2) Every Officer employee shall every year submit a return of his movable, immovable and valuable property including liquid assets like shares, debentures as on 31st March of that year to the bank before 30th day of June of that year.

CH. RAJA RAO, General Manager (Personnel)

Footnote.—666|20|Legal|199 dated 12-10-1990 of notifications of earlier amendment and the date of publication in the Gazette of India is Friday, October 26, 1990|Kartika 4, 1912.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993